

प्रति. निर्णय दिनांक 24-6-2019

प्रकरण सं. राजस्व विधि 18/2018

कानसिंह बनाम राज. सरकार

अन्तर्गत धारा 81 राज. भू. राजस्व अधि. 1956

न्यायालय आतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

(24-6-18)
24/6/19

प्राथी के वकील उपस्थित/अप्राथी को और
से सरकारी वकील उपस्थित/ इस प्रकरण
मूल अपील सं. 30/2018 में निर्णय हो चुका है।
अतः अब इस स्थगन प्रार्थनापत्र का कोई
आहित नहीं होने से यह स्थगन प्रार्थनापत्र
स्वार्थिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम है। आदेश से इजलास
सुनाया गया। यह प्रकरण मूल अपील के साथ
संलग्न किया जावे।

(स. लाल गोयल)
आतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

